भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. भारत निर्वाचन आयोग/प्रे.नो./44/2015 दिनांक : 16 जून, 2015

प्रेस नोट

विषय : **नेशनल पीपुल्स पार्टी की मान्यता का निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 16क के अधीन निलम्बन।**

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 16क के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल पीपुल्स पार्टी, मेघालय में एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल, की मान्यता, दल के निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में उनके द्वारा असमर्थ रहने के कारण निलम्बित कर दी है। कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ तथा अन्य (एआईआर-1996 एससी 3081) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के 75 दिन के भीतर तथा लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के 90 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिया था। लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन, 2014, 28 मई, 2014 को सम्पन्न हो गया था तथा आयोग के अनुदेशों के अनुसार, उपरोक्त निर्वाचनों के संबंध में राजनीतिक दलों को अपने निर्वाचन व्यय की विवरणियां 26 अगस्त, 2014 तक प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

आयोग ने, 26 अगस्त, 2014 की निर्धारित तिथि काफी पहले समाप्त होने के पश्चात, लोक सभा निर्वाचन, 2014 के बारे में अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नेशनल पीपुल्स पार्टी को दो अनुस्मारक जारी किए थे।

अंतत:, निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च, 2015 को उक्त दल को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग के विधिसम्मत निदेशों तथा अनुदेशों का पालन नहीं करने पर क्यों न निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 16क के अधीन कार्रवाई की जाए।

नोटिस प्राप्त होने पर, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अपनी व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए 15 अप्रैल, 2015 तक के समय के लिए अनुरोध किया और पुन: 15 मई, 2015 तक के समय के लिए अनुरोध किया परन्तु इस समय सीमा का पालन करने में उक्त पार्टी असमर्थ रही एवं पार्टी की व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं की।

यह उल्लेखनीय है कि आयोग के विधिसम्मत अनुदेशों का पालन करने में असमर्थ रहने पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश 1968 के अधीन आयोग द्वारा किसी पार्टी की मान्यता निलम्बित करने का यह पहला मामला है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक